बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

ई–मेल

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:–**ceo_bihar@eci.gov.in**

पत्रांकः–ई2–2–09/2016 – 35 पटना, दिनांक 06 जनवरी, 2020 ई0।

प्रेषक,

आलोक कुमार,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

विषय:– बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद एवं अपीलीय आवेदनों की सुनवाई में परिवादी/अपीलार्थी के साथ उचित व्यवहार किए जाने के संबंध में।

प्रसंग:– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना का पत्रांक–2281 दिनांक–16.12.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निदेशानुसार आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जा रही है।

अनु0:– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

6.1.2020

(आलोक कुमार)
उप सचिव।

पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/BRPGRA–11/2016 सो0 2281

<u>बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी</u>

<u>(सामान्य प्रशासन विभाग)</u>

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
अपर मुख्य सचिव–सह–मिशन निदेशक

सेवा में,

<u>सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव</u>
<u>सभी प्रमंडलीय आयुक्त</u>
<u>सभी जिला पदाधिकारी</u>
सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी

पटना, दिनांक– 16/12/2019

विषयः– **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद एवं अपीलीय आवेदनों की सुनवाई में परिवादी/अपीलार्थी के साथ उचित व्यवहार किए जाने के संबंध में ।**

महाशय,

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वारा नागरिकों को उनकी लोक शिकायतों पर सुनवाई एवं निवारण के अवसर का अधिकार दिया गया है । इसमें सुनवाई का पक्ष अत्यन्त ही प्रभावकारी है और यह निर्देश है कि परिवादी एवं लोक प्राधिकार को बराबरी के स्तर पर आमने–सामने बैठाकर सुनवाई की जाए ताकि आम लोगों को इस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त अधिकार का बोध हो ।

2– ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारों के द्वारा सुनवाई में आने वाले परिवादी/अपीलार्थी को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है तथा उनके साथ अवांछित व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता है । यह सर्वथा अवांछनीय है । एतदर्थ पुनः निम्नलिखित दिशा निदेश दिए जाते हैं :–

1. परिवादी अथवा अपीलार्थी के लिए सुनवाई के पूर्व एवं सुनवाई के दौरान बैठने की उचित व्यवस्था की जाए । सुनवाई के दौरान परिवादी/अपीलार्थी एवं लोक प्राधिकार को एक बराबरी में आमने–सामने बैठाया जाए ।
2. परिवादी/अपीलार्थियों की सुनवाई पहले की जाए तथा उनके द्वारा दिए गए मौखिक अथवा लिखित बयान का उल्लेख पारित किए गए अंतरिम/अंतिम विनिश्चय में किया जाए । सुनवाई में पूरी पारदर्शिता बरती जाए ।
3. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारों की मनोदृष्टि परिवादी/अपीलार्थी को निरूत्साहित करने वाला नहीं होना चाहिए ।
4. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अपीलीय प्राधिकार द्वारा परिवाद के निवारण के वैकल्पिक विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए ।
5. सुनवाई में आये हुए परिवादी/अपीलार्थी के साथ समाज के जवाबदेह व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए और ऐसा कतई प्रतीत न हो कि वे अनिष्ट रूप से पधारे हुए व्यक्ति हैं ।

3– अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा निदेशों के अनुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी) 16.12.19
अपर मुख्य सचिव–सह–मिशन निदेशक

D:\d drive\SANJAY\19\MD.docx